समाचार-प्रकाशनार्थ:-

रतलाम नगर शीघ्र होगा झुग्गी मुक्त प्रत्येक झुग्गी वासी को मलेगा फ्लेट -श्री काश्यप

रतलाम पुनः बनेगा मालवा का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र

फीता काटकर ष्रतलाम कल आज और कल’ ’ प्रदर्शनी का कया शुभारंभ

नगर निगम व रतलाम स्थापना स मति ने धूमधाम से मनाया रतलाम स्थापना दिवस

रतलाम 16 फरवरी । रतलाम नगर के प्रत्येक झुग्गीवासी व आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नि र्मत फ्लेट दिये जाने के लये हम कटिबद्ध है तथा इस पर तेजी से कार्य कया जा रहा है। झुग्गीवा सयों को फ्लेट मलने के बाद रतलाम नगर झुग्गी मुक्त होगा।

उक्त उद्गार वधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने नगर निगम रतलाम एवं रतलाम स्थापना महोत्सव स मति के संयुक्त तत्वाधान में मनाये जा रहे रतलाम स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अति थ के अवसर पर व्यक्त कये।

उन्होने कहा क नगर का चंहुमुखी वकास तभी होगा जब शहर के प्रत्येक झुग्गीवासीए गरीब व आवासहीन परिवारों का अपना स्वंय का पक्का मकान हो। व्यक्ति के पास स्वंय का मकान होने पर स्वंयमेव ही उस परिवार का वकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जब वकास होता है तो नगर का भी वकास होता है।

मा0 श्री काश्यप ने कहा क रतलाम नगर को पुनः मालवा का प्रमुख व्यापारिक एवं औद्यो गक केन्द्र बनाने के लये तेजी कार्य कया जा रहा है जिससे नगर में उद्योग व व्यापार की अवधारणाऐं बन रही है। नगर में उद्योग लगने से नगर के युवाओं को अपने ही नगर में ही रोजगार उपलब्ध होगा व व्यापार बढ़ेगा।

उन्होने कहा क रतलाम राज्य की स्थापना बसंत पंचमी पर आज ही के दिन हुई थी हम सभी को मलकर रतलाम के गौरव के लये रतलाम नगर की वर्षगांठ धूमधाम से मनाना चाहिये क्यों क वर्षगांठ गौरव का वषय होता है। श्री काश्यप ने कहा क यह बड़ी ही खुशी की बात है क रतलाम स्थापना महोत्सव स मति व नगर निगम मलकर रतलाम का स्थापना दिवस मना रही हैए शासनए प्रशासन व जनसेवी संस्थाऐं मलकर जो भी आयोजन करती है वह आयोजन सफल होता है रतलाम स्थापना दिवस उसी का सक्षम उदाहरण है।

श्री काश्यप ने कहा क सीवरेज एक कड़वी गोली है पर हमें इसे लेना होगी क्यों क आज हम थोड़ी सी तकलीफ सह लेंगे तो आने वाले वर्षो में गंदे पानी की समस्या से मुक्त होने के साथ ही बीमारी एवं मच्छरों से भी मुक्त होंगे।

रतलाम स्थापना महोत्वस स मति के संयोजक श्री मुन्नालाल शर्मा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा क जिस सोच के तहत रतलाम नगर बसाया था आज उसी सोच के तहत रतलाम दिन प्रतिदिन वकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है साथ ही नगर साफ-स्वच्छ-सुन्दर भी बन रहा है। उन्होने इस अवसर पर नगर में चल रही वकास की योजनाओं से वस्तृत रूप से अवगत कराया।

उद्बोधन के पूर्व माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने माॅ सरस्वती के चत्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की तत्पश्चात नगर निगम तिराहे स्थित रतलाम राज्य के जनक रतन संह जी की प्रतिमा पर माल्यर्पण कया। उदबोधन पश्चात नगर निगम कार्यालय परिसर में ‘‘रतलाम कल आज और कल’ ’ प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर कया।

प्रारंभ में मुख्य अति थ माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप का स्वागत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए रतलाम स्थापना महोत्सव स मति अध्यक्ष श्री प्रवीण सोनीए संयोजक श्री मुन्नालाल शर्माए वरिष्ठ भाजपा नेता श्री कन्हैयालाल मौर्यए समाजसेवी श्री अनोखीलाल कटारियाए पूर्व

महापौर परिषद सदस्य एवं पार्षद सर्वश्री प्रेम उपाध्यायए मंगल लोढ़ाए भगत संह भदौरियाए प्रहलाद पटेलए मोहनलाल धभाईए अशोक यादवए श्रीमती ललीता पवांरए श्रीमती अनिता कटाराए मंडल अध्यक्ष श्री आदित्य डागाए श्री निलेश गांधीए श्री मयूर पुरोहितए पूर्व मण्डल अध्यक्ष श्री जयवंत कोठारी के अलावा सर्वश्री गोपाल शर्माए राजेश कटारियाए राजेश माहेश्वरीए रजनीश गोयलए दिनेश सोलंकीए सुनील मालीए लक्ष्मीनारायण गेहलोतए संजीव कोठारीए मुरलीधर गुर्जरए वक्रम गुर्जरए हितेश कामरेडए जोन्टी गुर्जरए राकेश परमारए नन्द कशोर पवांरए सीमा अग्रवालए बद्रीलाल परिहारए महेन्द्र मूणतए ललीत दखए राकेश टांकए दशरथ पाटीदारए अनिल कटारियाए राकेश नाहरए सुरेशचन्द्र चावड़ाए महेन्द्र संह राठौरए राजेन्द्र संह चौहानए राजेन्द्र संह पवांरए वशाल चावड़ाए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैन सहित निगम अ धकारी एवं कर्मचारियों ने पुष्पहारों से कया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री गोपाल शर्मा ने कया व आभार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने माना।

निगम कर्मचारी अनिवार्य रूप से लगवायें कोरोना का टीका-श्री झारिया

चार स्थानों पर लगेंगे कोरोना के टीके

रतलाम 16 फरवरी । नगर निगम के सभी अ धकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाये इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मुख्य च कत्सा अ धकारी डॉ0 प्रभाकर ननावरे के साथ निगम सभागृह में वभाग प्रमुखए झोन प्रभारीए दरोगाओं की बैठक लेकर कहा क नगर निगम के कर्मचारियों को सरकार फ्रंट लाईन वर्करो की श्रेणी में लया है इस लये सभी अनिवार्य रूप से टीका लगवाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क मैने भी कोरोना का टीका लगवाया है इससे डरने की आवष्यकता नहीं है इस लये सभी कर्मचारी अपनीए अपने परिवार व अन्य की सुरक्षा हेतु कोरोना का टीका लगवाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क निगम के अ धकारी एवं कर्मचारियों की सु वधा हेतु 17 फरवरी बुधवार को डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए जवाहर नगर कम्युनिटी हॉल व सुभाश नगर कम्यूनिटी हॉल पर कोरोना का टीका प्रातः 08ः30 बजे से लगाये जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारी अपने नजदीकी स्थल पर आधार कार्डए मतदाता परिचय पत्रए पेन कार्डए ड्राय वंग लायसेंस आदि के साथ उपस्थित होकर कोरोना का टीका अनिवार्य रूप से लगवाये इस कार्य में कसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें।

आयोजित बैठक में डॉ0 पूर्वीए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए श्री निषीकान्त षुक्लाए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाष आचार्यए प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री एम.के. जैनए उद्यान प्रभारी श्री अर वन्द दषोत्तरए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री सद्धार्थ सोनीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र षर्माए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़ेए दरोगा व निगम कर्मचारी उपस्थित थे।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर वक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना

नीमचौक क्षेत्र में 13 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 16 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है कन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य सामग्री के फुटकर वक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नीमचौक क्षेत्र के दुकानदार व फुटकर व्यापारियों द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत मुकेष कुमारए श्री स्टील पर 500.500ए राजेन्द्र पांचाल पर 300ए धापुबाईए कौषल्याबाईए दुर्गाए दिनेषए गोवर्धनए संदीपए पवनए हेमराजए ओमप्रकाष व चंचल पर 50.50

रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री एम.के. जैनए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

दीनदयाल नगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 27ए33ए144ध् संपत्तिकर व 6ए19ए025ध् जलकर जमा कराया

रतलाम 16 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000रु. व जलकर 6ए000रु.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000रु. व जलकर 55ए775रु.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विि‍िर में संपत्तिकर 2ए38ए000रु. व जलकर 49ए010रु.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000रु. व जलकर 43ए670रु.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000रु. व जलकर 29ए280रु.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000रु. व जलकर 19ए850रु.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000रु. व जलकर 48ए220रु.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000रु. व जलकर 14ए000रु.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000रु. व जलकर 86ए540रु.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000रु. व जलकर 3ए76ए905रु.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500रु. व जलकर 76ए470रु.ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000रु. व जलकर 47ए595रु.ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000रु. व जलकर 22ए680रु.ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644रु. व जलकर 55ए320रु.ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000रु. व जलकर 59ए500रु.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144रु. व जलकर 6ए71ए025रु.ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000रु. व जलकर 19ए000रु. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 27ए33ए144रु. संपत्तिकर व 6ए90ए025रु. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28

के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

661 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 16 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 15 फरवरी तक

शहर के वभिन्न क्षेत्रों से 661 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की वभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 15 फरवरी को सैलाना रोड क्षेत्र से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
117 दिनों में 144 वॉल्व व 797 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 16 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से

प्रारंभ कया गया जिसके तहत 16 फरवरी तक 144 वॉल्व व 797 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 16 फरवरी बुधवार को करमदी रोड सांवरिया मंदिर के सामनेए अमृत सागर कालोनीए टैंकर रोडए कस्तुरबा नगर जैन मंदिर के सामने व गली नम्बर 5ए प्रताप नगरए उंकाला रोड व हाट की चौकी मरीमाता चौराहे पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये जाने के साथ ही गोपाल गौशाला कालोनी उद्यान के पास वॉल्व दुरस्त कया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 16 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी

साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 16 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।
स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 16 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत

कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संब धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/16ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.